कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक335 /156/आउशि/शाखा–5 अ/2014, भोपाल, दिनांक 6/6/2014

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय, म.प्र.।

विषयः **नवीन सत्र 2014–15 के दौरान महाविद्यालयों में विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा–निर्देश।**

–0–

पिछले सत्रों के दौरान महाविद्यालय परिसरों में प्रेरक व अकादमिक वातावरण निर्मित हुआ है। इस बनाये रखने के लिए इस सत्र के आरंभ में विभिन्न समितियों के साथ ही योजना क्रियान्वयन व निगरानी समिति तथा गुणवत्ता प्रकोष्ठ का भी गठन करें तथा प्राथमिकता के आधार पर निम्न गतिविधियों/बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अपना स्वॉट विश्लेषण करते हुए लक्ष्य निर्धारित करें :

1. गुणवत्ता वर्ष और गुणवत्ता विस्तार वर्ष के दौरान आरंभ की गई महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों को जारी रखना।
2. सत्रारंभ से नैतिक शिक्षा/मानव अधिकार विषयों को शामिल करते हुए निर्देशानुसार शून्य कक्षाओं का आयोजन, जिसमें महाविद्यालय में संचालित प्रतिभा बैंक के सदस्यों का सहयोग लेना।
3. रैगिंग के संबंध में जीरो टालरंस पॉलिसी का पालन करते हुए रैगिंग–मुक्त केम्पस बनाना। व्यापक प्रचार–प्रसार करना।
4. नशामुक्त कैम्पस बनाने हेतु कार्यवाही/व्यापक प्रचार–प्रसार।
5. छात्राओं की आत्मरक्षा हेतु जूडो/कराते आदि हेतु नियमित कार्यक्रम जारी रखना।
6. एन.एस.एस./एन.सी.सी. की गतिविधियों हेतु कार्यक्रमों को नियमित आयोजित करना तथा सेमेस्टर ब्रेक के दौरान शिविरों के आयोजन हेतु तैयारी करना।
7. अकादमिक कैलेण्डर का पालन करते हुए नियमित अध्ययन–अध्यापन की व्यवस्था सुनिश्चित करना, प्रतिभा बैंक व एम्बेसेडर प्राध्यापक योजना की सहायता लेना।
8. विभाग द्वारा जारी सांस्कृतिक कैलेण्डर में दर्शायी तिथियों पर अवकाश होने की स्थिति में एक–दो दिन पहले कम से कम एक पीरियड की अवधि का कार्यक्रम आयोजित करना।
9. मतदाता जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एन.एस.एस./एन.सी.सी. के स्वयं सेवकों की सहायता से अभियान जारी रखना।
10. स्नातक एवं स्नातकोत्तर के अंतिम सेमेस्टर में लागू इटर्नशिप एवं परियोजना कार्य को परिणामूलक बनाने हेतु "उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन" पुस्तिका में कंडिका 13.6 परिशिष्ट 6 पर "परियोजना कार्य के दौरान किस तरह कार्य करें" के अनुसार प्रोजेक्ट प्रतिवेदन तैयार कराना।
11. सत्र में किसी भी कारण से शिक्षण दिवसों में हुई कमी की पूर्ति अतिरिक्त कक्षाओं के आयोजन से पूर्ण करना।
12. "उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन" पुस्तिका के भाग– 12 पर प्रदर्शित 'स्टूडेंट चार्टर' का नोटिस बोर्ड/फ्लेक्स पर प्रदर्शन करना सुनिश्चित करना।
13. शिक्षकों को वर्कशाप, सेमीनार, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उन्मुखीकरण, पुनश्चर्या कार्यक्रम एवं शोध संगोष्ठियों में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना।

14. अकादमिक वातावरण को सक्रिय एवं जीवन्त बनाने के लिए एम्बेसेडर प्राध्यापकों को अपने महाविद्यालय में आमंत्रित करना तथा अन्य महाविद्यालयों में आमंत्रित किए जाने पर दौरा करने के लिए भेजना।
15. शिक्षकों को शोध हेतु अनुदान प्राप्त महाविद्यालय को शोध परियोजना प्राप्त करने हेतु प्रेरित करें।
16. स्व.श्री लक्ष्मण सिंह गौड़ पुरस्कार योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करना ताकि अधिक से अधिक प्राचार्यो, अध्यापकों व विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जा सके।
17. सतत् समग्र मूल्यांकन हेतु अलग–अलग विधाओं का प्रयोग करना जिससे विद्यार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास के विविध बिन्दुओं का समावेश हो सके।
18. महाविद्यालय में अतिथि विद्वानों की नियुक्ति पर "उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन" पुस्तिका की कंडिका 13.7 परिशिष्ट 7 में दिए गए प्रपत्रानुसार जानकारी संधारित करना।
19. गुणवत्ता जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन।
20. विभाग ने 'उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन" नामक पुस्तिका जारी की है। इस विषय पर कार्यशालाओं का आयोजन।
21. नैक से मूल्यांकन कराने हेतु नैक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(डॉ. व्ही.एस. निरंजन)
वि.क.अ. सह आयुक्त 6/6/14
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक 336/156/आउशि/शाखा–5 अ/2014, भोपाल,दिनांक 6/6/2014
प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा की ओर आपके क्षेत्रान्तर्गत महाविद्यालयों में उपर्युक्त बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित करवाते हुए प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6.6.14
(डॉ. के.एम. जैन)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश